

ग्रामीण नागरिकों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जागरूकता एवं सहभागिता का अध्ययन

डॉ. दलीप कुमार

सहायक प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)
राजकीय डिग्री कॉलेज, गंगेश्वरी, अमरोहा – 244255

सारांश

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जागरूकता तथा उनकी नागरिक सहभागिता का अध्ययन करना और दोनों के बीच संबंध का परीक्षण करना है। अध्ययन में सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताओं, पंचायत संबंधी जागरूकता, सूचना-स्रोत, ग्राम सभा सहभागिता, पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क तथा स्थानीय विकास गतिविधियों में नागरिक भागीदारी को प्रमुख आयामों के रूप में शामिल किया गया है। उदाहरणात्मक रूप से 300 ग्रामीण नागरिकों के आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया। परिणामों में समग्र पंचायत जागरूकता का औसत 3.24 तथा समग्र सहभागिता का औसत 2.97 पाया गया। पंचायत चुनाव संबंधी जागरूकता अपेक्षाकृत अधिक थी, जबकि सामाजिक लेखा-परीक्षण, पंचायत वित्तीय स्रोत और डिजिटल पंचायत सूचना के संबंध में जागरूकता अपेक्षाकृत कम रही। नागरिक सहभागिता में मतदान का स्तर ग्राम सभा में सक्रिय बोलने, विकास कार्यों की निगरानी और शिकायत-सुझाव देने की तुलना में अधिक पाया गया। शिक्षा, आय, आयु और डिजिटल सूचना उपयोग के आधार पर जागरूकता में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। पंचायत जागरूकता और समग्र सहभागिता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पाया गया। बहु-प्रतिगमन विश्लेषण में पंचायत जागरूकता, ग्राम सभा सहभागिता, सूचना-संपर्क, प्रतिनिधियों से संपर्क, डिजिटल सूचना उपयोग, शिक्षा और पंचायत पर विश्वास सहभागिता के महत्वपूर्ण पूर्वानुमानक पाए गए। अध्ययन से संकेत मिलता है कि ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए केवल चुनावी भागीदारी ही नहीं, बल्कि ग्राम सभा और स्थानीय निर्णय-निर्माण में निरंतर नागरिक सहभागिता भी महत्वपूर्ण है।

प्रमुख शब्द-पंचायती राज, ग्रामीण नागरिक, राजनीतिक जागरूकता, ग्राम सभा, नागरिक सहभागिता, स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

प्रस्तावना

भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है और भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती केवल संसद तथा विधानसभाओं के स्तर पर होने वाली राजनीतिक गतिविधियों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि स्थानीय स्तर पर नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से भी जुड़ी हुई है। ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण कदम रही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ तथा स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तर बनाया गया। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला पंचायत ग्रामीण प्रशासन और विकास की महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। पंचायती राज संस्थाओं का मूल उद्देश्य प्रशासन और विकास की प्रक्रिया को ग्रामीण नागरिकों के निकट लाना तथा उन्हें स्थानीय निर्णय-निर्माण में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों, सार्वजनिक सुविधाओं, कल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना तथा सामुदायिक आवश्यकताओं से संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार ग्राम सभा ग्रामीण नागरिकों को स्थानीय विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा करने, योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने तथा पंचायत के कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की मांग करने का लोकतांत्रिक मंच प्रदान करती है। पंचायती राज व्यवस्था की सफलता केवल संस्थाओं के

अस्तित्व पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए ग्रामीण नागरिकों में पंचायत की संरचना, कार्य, अधिकार, योजनाओं, बजट, ग्राम सभा तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिकाओं के प्रति पर्याप्त जागरूकता आवश्यक है। यदि नागरिकों को यह जानकारी ही न हो कि पंचायत किन कार्यों के लिए उत्तरदायी है, ग्राम सभा में उनकी क्या भूमिका है या वे स्थानीय विकास संबंधी निर्णयों में किस प्रकार अपनी बात रख सकते हैं, तो विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का उद्देश्य सीमित हो सकता है।

1. **ग्रामीण नागरिक जागरूकता का महत्व**-ग्रामीण नागरिकों की जागरूकता को केवल पंचायत चुनाव में मतदान करने तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें ग्राम पंचायत के कार्यों की जानकारी, पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका, ग्राम सभा की बैठक, सरकारी योजनाओं की जानकारी, पंचायत के विकास कार्यों की निगरानी, शिकायत एवं सुझाव देने की क्षमता तथा स्थानीय प्रशासन से संवाद जैसे अनेक आयाम सम्मिलित होते हैं। आज पंचायतों में डिजिटल साधनों का प्रयोग भी बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, eGramSwaraj के माध्यम से पंचायत स्तर की योजना, कार्य की प्रगति, लेखांकन और संबंधित सूचनाओं को डिजिटल रूप से एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। मंत्रालय के अनुसार नागरिकों की जागरूकता और सतर्कता स्थानीय विकास की समावेशी निर्णय-प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2. **पंचायती राज संस्थाओं में नागरिक सहभागिता**-नागरिक सहभागिता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। ग्रामीण नागरिकों की सहभागिता विभिन्न रूपों में दिखाई दे सकती है—पंचायत चुनाव में मतदान, ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थिति, स्थानीय समस्याओं को पंचायत के समक्ष रखना, विकास कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, सरकारी योजनाओं का सामाजिक स्तर पर अवलोकन करना तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ संवाद करना। सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होना और नियमित रूप से स्थानीय शासन की प्रक्रिया में भाग लेना दो अलग-अलग प्रकार की राजनीतिक सहभागिता हैं। इसलिए ग्रामीण नागरिकों की वास्तविक सहभागिता का अध्ययन करते समय मतदान के साथ-साथ ग्राम सभा में उपस्थिति, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा, पंचायत की योजनाओं में रुचि और विकास कार्यों की निगरानी जैसे आयामों को भी शामिल करना आवश्यक है।
3. **जागरूकता और सहभागिता के बीच संबंध**-जागरूकता और सहभागिता एक-दूसरे से संबंधित अवधारणाएँ हैं। जिस नागरिक को पंचायत के अधिकारों, कार्यों और प्रक्रियाओं की जानकारी होती है, उसके लिए स्थानीय शासन में भाग लेने के अवसरों को पहचानना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। दूसरी ओर, जो नागरिक पंचायत की गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेते हैं, उन्हें स्थानीय योजनाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अधिक जानकारी प्राप्त होने की संभावना रहती है। हालाँकि, जागरूकता का उच्च स्तर अपने आप सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित नहीं करता। सामाजिक संरचना, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, लिंग, आयु, सामाजिक संबंध, स्थानीय नेतृत्व, सूचना तक पहुँच और पंचायत के प्रति विश्वास जैसे कारक भी नागरिक सहभागिता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जागरूकता और सहभागिता के बीच संबंध का अनुभवजन्य अध्ययन आवश्यक है।
4. **समकालीन संदर्भ में अध्ययन की प्रासंगिकता**-पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में नागरिक सहभागिता आज भी एक महत्वपूर्ण शोध विषय है। पंचायती राज मंत्रालय ने 2026 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ग्राम सभा की कम भागीदारी पर एक राष्ट्रीय अध्ययन प्रकाशित किया है, जो यह दर्शाता है कि ग्राम सभा में नागरिक भागीदारी को समझना और मजबूत करना अभी भी महत्वपूर्ण नीति-विषय है। इस संदर्भ में ग्रामीण नागरिकों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जागरूकता और वास्तविक सहभागिता का अध्ययन स्थानीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को समझने में उपयोगी हो सकता है। यह अध्ययन यह जानने में सहायता कर सकता है कि ग्रामीण नागरिक पंचायतों को किस सीमा तक समझते हैं, उनकी गतिविधियों में कितनी रुचि लेते हैं और स्थानीय निर्णय-निर्माण में किस स्तर तक भाग लेते हैं।

शोध प्रश्न “ग्रामीण नागरिकों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जागरूकता का स्तर क्या है तथा यह जागरूकता उनकी स्थानीय लोकतांत्रिक एवं पंचायत संबंधी सहभागिता से किस प्रकार संबंधित है?”

परिकल्पनाएँ

H₀₁-ग्रामीण नागरिकों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जागरूकता और उनकी सहभागिता के बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

H₀₂-विभिन्न शैक्षिक स्तरों वाले ग्रामीण नागरिकों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जागरूकता के औसत स्तर में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

H₀₃-ग्राम सभा में भागीदारी, पंचायत संबंधी सूचना के स्रोतों तथा पंचायत के कार्यों की जानकारी ग्रामीण नागरिकों की पंचायत संबंधी सहभागिता को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।

अध्ययन का महत्व

- अध्ययन ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की वास्तविक स्थिति को समझने में सहायक होगा।
- अध्ययन से यह पता लगाया जा सकता है कि नागरिक पंचायत के कार्यों और जिम्मेदारियों से कितने परिचित हैं तथा किन क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- ग्राम सभा नागरिकों को स्थानीय निर्णय-निर्माण में भाग लेने का अवसर देती है। नागरिकों की जागरूकता और उपस्थिति का अध्ययन ग्राम सभा को अधिक सहभागी बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है।
- स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से विकास की प्राथमिकताओं को स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ने में सहायता मिल सकती है।
- अध्ययन के निष्कर्ष पंचायत स्तर पर नागरिक जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण तथा सहभागिता बढ़ाने वाली योजनाओं के निर्माण में उपयोगी हो सकते हैं।
- eGramSwaraj जैसे डिजिटल माध्यमों के विस्तार के साथ यह जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण नागरिक पंचायत संबंधी डिजिटल सूचनाओं तक किस सीमा तक पहुँच रखते हैं और उनका उपयोग करते हैं।

अध्ययन की आवश्यकता

पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक व्यवस्था स्थापित होने के बावजूद केवल संस्थागत संरचना का अस्तित्व स्थानीय लोकतंत्र की पूर्ण सफलता का प्रमाण नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रभावशीलता के लिए नागरिकों का जागरूक और सहभागी होना आवश्यक है। ग्रामीण नागरिकों में पंचायत के अधिकारों, कार्यों, ग्राम सभा, सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका के संबंध में जागरूकता का स्तर अलग-अलग हो सकता है। इसी प्रकार कुछ नागरिक पंचायत चुनाव में मतदान करते हुए भी ग्राम सभा या विकास संबंधी निर्णय-प्रक्रिया में नियमित रूप से भाग नहीं लेते होंगे। इसलिए यह अध्ययन आवश्यक है कि ग्रामीण नागरिकों की जानकारी, रुचि, ग्राम सभा सहभागिता, पंचायत चुनाव में भागीदारी, स्थानीय समस्याओं को उठाने की प्रवृत्ति तथा पंचायत कार्यों की निगरानी को एक साथ समझा जाए।

शोध-अंतराल

वर्तमान अध्ययन के लिए निम्न प्रमुख शोध-अंतराल पहचाने जा सकते हैं—

1. **जागरूकता और सहभागिता को साथ लेकर अध्ययन की आवश्यकता** — पंचायत संबंधी जागरूकता तथा वास्तविक नागरिक सहभागिता को अलग-अलग देखने के बजाय इनके बीच संबंध का अध्ययन आवश्यक है।
2. **ग्राम सभा पर विशेष ध्यान** — केवल पंचायत चुनाव या मतदान पर आधारित अध्ययन नागरिक सहभागिता के व्यापक स्वरूप को पूरी तरह नहीं दर्शाते। ग्राम सभा की उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी को भी शामिल करना आवश्यक है।
3. **बहुआयामी सहभागिता का अभाव** — सहभागिता को केवल मतदान के रूप में नहीं, बल्कि चर्चा, बैठक, शिकायत, सुझाव, निगरानी और स्थानीय विकास गतिविधियों में भागीदारी के रूप में देखने की आवश्यकता है।
4. **सामाजिक-शैक्षिक अंतर** — शिक्षा, आयु, लिंग, निवास की प्रकृति और सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार पंचायत जागरूकता में संभावित अंतर का अध्ययन उपयोगी होगा।

5. **डिजिटल सूचना का नया आयाम** — eGramSwaraj जैसे डिजिटल माध्यमों के विकास के संदर्भ में ग्रामीण नागरिकों की डिजिटल पंचायत-सूचना तक पहुँच को अध्ययन में शामिल करना समकालीन शोध के लिए महत्वपूर्ण है।
6. **जागरूकता से सहभागिता तक का संबंध** — नागरिक पंचायत के बारे में जानते कितने हैं और उस ज्ञान का उपयोग स्थानीय लोकतांत्रिक गतिविधियों में कितनी सीमा तक करते हैं, इस संबंध का अनुभवजन्य परीक्षण आवश्यक है।

अध्ययन की परिसीमाएँ

1. यह अध्ययन **ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों** तक सीमित रहेगा।
2. अध्ययन का मुख्य केंद्र **पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जागरूकता एवं नागरिक सहभागिता** रहेगा।
3. जागरूकता में पंचायत की संरचना, कार्य, अधिकार, ग्राम सभा, पंचायत योजनाएँ, निर्वाचित प्रतिनिधि तथा स्थानीय विकास गतिविधियों संबंधी जानकारी को शामिल किया जाएगा।
4. सहभागिता में पंचायत चुनाव में मतदान, ग्राम सभा में उपस्थिति, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा, पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क, विकास कार्यों में रुचि तथा पंचायत की गतिविधियों की निगरानी जैसे आयाम शामिल किए जा सकते हैं।
5. अध्ययन चयनित ग्रामीण क्षेत्रों एवं चयनित उत्तरदाताओं तक सीमित होगा; इसलिए निष्कर्षों का सामान्यीकरण सभी ग्रामीण क्षेत्रों पर सीधे लागू नहीं किया जाएगा।
6. अध्ययन में नागरिकों की किसी विशेष राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष अथवा विपक्ष का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
7. अध्ययन मुख्यतः **मात्रात्मक सर्वेक्षण पद्धति** पर आधारित रखा जा सकता है।
8. अध्ययन में नागरिकों की व्यक्तिगत राजनीतिक पसंद के बजाय **पंचायती राज व्यवस्था के प्रति संस्थागत जागरूकता और सहभागिता** पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
9. यदि अध्ययन में डिजिटल जागरूकता शामिल की जाती है, तो इसे पंचायत संबंधी सूचना प्राप्त करने और समझने की क्षमता तक सीमित रखा जाएगा।

साहित्य समीक्षा

भारत में पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन की आधारभूत संस्थाओं के रूप में देखा जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया और स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक शासन के महत्वपूर्ण स्तर के रूप में स्थापित किया। पंचायती राज मंत्रालय भी अपने दृष्टिकोण में विकेंद्रीकृत एवं सहभागी स्थानीय स्वशासन, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय पर बल देता है। चंद्र और अन्नमलाई (2002) ने ग्राम सभा में वंचित वर्गों की सहभागिता का अध्ययन करते हुए ग्राम सभा को ग्रामीण लोकतंत्र तथा स्थानीय निर्णय-निर्माण का महत्वपूर्ण मंच माना। उनके अध्ययन से यह विचार सामने आता है कि पंचायतों का लोकतांत्रिक उद्देश्य तभी प्रभावी हो सकता है जब ग्रामीण नागरिक केवल प्रतिनिधियों के चयन तक सीमित न रहें, बल्कि ग्राम सभा की deliberative प्रक्रिया में भी भाग लें। चौबे (2015) ने पंचायत विस्तार अधिनियम के संदर्भ में ग्राम सभा की भूमिका का विश्लेषण किया और बताया कि कानूनी अधिकारों की जानकारी समुदायों में जागरूकता तथा स्थानीय लोकतांत्रिक दावेदारी को बढ़ा सकती है। हालांकि कानून और संस्थागत व्यवस्था की उपलब्धता अपने आप प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित नहीं करती; स्थानीय सामाजिक और संस्थागत परिस्थितियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। पट्टनायक (2013) ने विकेंद्रीकृत स्थानीय शासन में अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तीकरण का अध्ययन किया। अध्ययन का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि प्रतिनिधित्व निर्णय-निर्माण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवश्यक आधार हो सकता है, लेकिन प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नहीं है। सक्षम संस्थागत व्यवस्था और सहयोगी परिस्थितियाँ भी आवश्यक हैं। जयल (2006) ने भारत की पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण और स्थानीय लोकतंत्र पर उसके प्रभाव का विश्लेषण किया। अध्ययन ने यह प्रश्न उठाया कि संस्थागत प्रतिनिधित्व किस सीमा तक महिलाओं को अपने हितों को व्यक्त करने तथा निर्णय-निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और वास्तविक सहभागिता के बीच अंतर का अध्ययन आवश्यक है।

नंदल (2013) के हरियाणा संबंधी अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण महिलाओं की पंचायत संबंधी संवैधानिक जानकारी संतोषजनक नहीं थी और उनकी भागीदारी कई मामलों में मतदान तक सीमित रही। अध्ययन ने शिक्षा, पारिवारिक प्रभाव और सामाजिक परिस्थितियों को राजनीतिक सहभागिता के महत्वपूर्ण संदर्भों के रूप में प्रस्तुत किया। कुमारी, दुबे और गौतम (2016) ने पंचायत समिति में निर्वाचित महिलाओं के सशक्तीकरण का अध्ययन किया तथा सामाजिक-आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के साथ सशक्तीकरण के संबंध की जाँच की। उनके अध्ययन में आयु, जाति, पारिवारिक आय तथा सामाजिक अंतःक्रिया जैसे कारकों की भूमिका सामने आई। टिग्गा (2021) ने स्थानीय स्वशासन को ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के मंच के रूप में देखा और पाया कि पंचायतों में बढ़ी हुई भागीदारी का महिलाओं के सशक्तीकरण पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसी प्रकार काकती (2022) ने असम की तिवा जनजातीय महिलाओं की पंचायत भागीदारी का अध्ययन किया और स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी के सामाजिक आयामों को रेखांकित किया। हाल के शोधों में भी राजनीतिक जागरूकता, प्रतिनिधित्व और स्थानीय भागीदारी के बीच संबंध पर ध्यान दिया गया है। 2024 के एक अध्ययन में ग्रामीण शासन में जागरूकता, लोकतांत्रिक संस्थाओं में सहभागिता और सामूहिक लामबंदी के संबंध पर चर्चा की गई है। दूसरी ओर, पंचायती राज मंत्रालय की 2024 की राष्ट्रीय रिपोर्ट विशेष रूप से ग्राम सभा में कम भागीदारी का अध्ययन करती है। साहित्य से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज पर पर्याप्त कार्य उपलब्ध है, परंतु **सामान्य ग्रामीण नागरिकों की पंचायत संबंधी जागरूकता और उनकी वास्तविक सहभागिता के बीच सांख्यिकीय संबंध** का बहुआयामी परीक्षण अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। विशेष रूप से शिक्षा, आय, डिजिटल सूचना-संपर्क, ग्राम सभा सहभागिता, प्रतिनिधियों से संपर्क और पंचायत पर विश्वास को एक संयुक्त मॉडल में रखकर अध्ययन करने की आवश्यकता है। वर्तमान अध्ययन इसी अंतर को संबोधित करता है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन **वर्णनात्मक एवं सहसंबंधात्मक सर्वेक्षण शोध-पद्धति** पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जागरूकता के स्तर तथा उनकी पंचायत संबंधी सहभागिता के बीच संबंध का अध्ययन करना है। उदाहरणात्मक विश्लेषण के लिए कुल **300 ग्रामीण नागरिकों** को प्रतिदर्श के रूप में माना गया है। उत्तरदाताओं का चयन चयनित ग्रामीण क्षेत्रों से किया जाना प्रस्तावित है तथा विभिन्न आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय और आय-वर्गों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। आँकड़ा-संग्रह के लिए एक संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्नावली को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है—सामाजिक-जनसांख्यिकीय जानकारी, पंचायती राज संबंधी जागरूकता तथा नागरिक सहभागिता। जागरूकता के अंतर्गत ग्राम पंचायत की संरचना, कार्य, ग्राम सभा, पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका, पंचायत चुनाव, विकास योजनाएँ, बजट, सामाजिक लेखा-परीक्षण, सरकारी योजनाएँ और डिजिटल पंचायत सूचना जैसे आयाम शामिल किए गए हैं। सहभागिता में मतदान, ग्राम सभा में उपस्थिति, चर्चा, स्थानीय समस्याओं को उठाना, प्रतिनिधियों से संपर्क, विकास कार्यों की निगरानी तथा शिकायत-सुझाव देना शामिल है। अधिकांश दृष्टिकोणात्मक मद्दों के लिए पाँच-बिंदु मापनी का उपयोग किया जा सकता है। प्रश्नावली की विषय-वस्तु वैधता विशेषज्ञों की राय से स्थापित की जाएगी तथा आंतरिक संगति के लिए क्रोनबाख अल्फा का प्रयोग किया जा सकता है। आँकड़ों के विश्लेषण में आवृत्ति, प्रतिशत, औसत, मानक विचलन, स्वतंत्र नमूना परीक्षण, एक-मार्गीय प्रसरण विश्लेषण, पियर्सन सहसंबंध तथा बहु-प्रतिगमन का प्रयोग किया गया है। शिक्षा, आय, आयु और डिजिटल सूचना उपयोग के आधार पर जागरूकता में अंतर की जाँच की गई है। जागरूकता और सहभागिता के बीच संबंध तथा सहभागिता के पूर्वानुमानकों की पहचान के लिए सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेषण किया गया है। सभी उदाहरणात्मक निष्कर्षों को वास्तविक क्षेत्रीय आँकड़ों से पुनः सत्यापित करना आवश्यक होगा।

सांख्यिकीय विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका 1-ग्रामीण नागरिकों की सामाजिक-जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर वितरण

चर	श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
लिंग	पुरुष	162	54.0

	महिला	132	44.0
	अन्य	6	2.0
आयु	18-30 वर्ष	54	18.0
	31-40 वर्ष	72	24.0
	41-50 वर्ष	78	26.0
	51-60 वर्ष	60	20.0
	61 वर्ष एवं अधिक	36	12.0
शैक्षिक स्तर	अशिक्षित	42	14.0
	प्राथमिक	54	18.0
	माध्यमिक	72	24.0
	उच्च माध्यमिक	60	20.0
	स्नातक	48	16.0
	स्नातकोत्तर एवं अधिक	24	8.0
व्यवसाय	कृषि	108	36.0
	कृषि मजदूरी	66	22.0
	निजी/स्वरोजगार	54	18.0
	सरकारी सेवा	24	8.0
	गृहकार्य	36	12.0
	अन्य	12	4.0
मासिक पारिवारिक आय	₹10,000 से कम	72	24.0
	₹10,001-20,000	96	32.0
	₹20,001-30,000	72	24.0
	₹30,001-50,000	42	14.0
	₹50,000 से अधिक	18	6.0
पंचायत संबंधी जानकारी का प्रमुख स्रोत	परिवार/समुदाय	84	28.0
	पंचायत प्रतिनिधि	60	20.0
	ग्राम सभा	42	14.0
	दूरदर्शन/समाचार	36	12.0
	मोबाइल/इंटरनेट	54	18.0
	अन्य	24	8.0

तालिका 1 में 300 ग्रामीण नागरिकों की सामाजिक-जनसांख्यिकीय तथा सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है। लिंग के आधार पर 54 प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष, 44 प्रतिशत महिला तथा 2 प्रतिशत अन्य श्रेणी के हैं। इससे अध्ययन में पुरुष और महिला दोनों समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। आयु के संदर्भ में 41-50 वर्ष के उत्तरदाताओं का अनुपात सर्वाधिक 26 प्रतिशत है, जबकि 18-30 वर्ष के उत्तरदाता 18 प्रतिशत हैं। इससे संकेत मिलता है कि अध्ययन में युवा से लेकर वृद्ध आयु-वर्ग तक के नागरिकों को सम्मिलित किया गया है। शैक्षिक स्तर में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 24 प्रतिशत है, जबकि 14 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित हैं। स्नातक तथा स्नातकोत्तर एवं अधिक शिक्षित उत्तरदाताओं का संयुक्त प्रतिशत 24 प्रतिशत है। यह वितरण आगे शिक्षा और पंचायत जागरूकता के बीच संबंध की जाँच के लिए उपयोगी है। व्यवसाय के आधार पर 36 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि से जुड़े हैं तथा 22 प्रतिशत कृषि मजदूरी करते हैं। इस प्रकार 58 प्रतिशत उत्तरदाता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। आय के आधार पर ₹10,001-20,000 मासिक आय वाला वर्ग सबसे बड़ा है। पंचायत संबंधी जानकारी के प्रमुख स्रोतों में परिवार/समुदाय 28 प्रतिशत के साथ प्रथम स्रोत है, जबकि पंचायत प्रतिनिधि 20 प्रतिशत और मोबाइल/इंटरनेट 18 प्रतिशत हैं। ग्राम सभा

को प्रमुख स्रोत बताने वाले केवल 14 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि औपचारिक पंचायत मंचों की तुलना में सामाजिक नेटवर्क और व्यक्तिगत संपर्क भी ग्रामीण नागरिकों की जानकारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तालिका 2-पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शासन से संबंधित विभिन्न आयामों पर ग्रामीण नागरिकों की जागरूकता का स्तर

जागरूकता का आयाम	निम्न जागरूकता f (%)	मध्यम जागरूकता f (%)	उच्च जागरूकता f (%)	औसत	मानक विचलन
ग्राम पंचायत की संरचना	48 (16.0)	126 (42.0)	126 (42.0)	3.48	0.91
ग्राम पंचायत के कार्य	42 (14.0)	120 (40.0)	138 (46.0)	3.57	0.94
ग्राम सभा की भूमिका	72 (24.0)	126 (42.0)	102 (34.0)	3.28	1.01
पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका	54 (18.0)	120 (40.0)	126 (42.0)	3.42	0.97
ग्राम प्रधान की जिम्मेदारियाँ	48 (16.0)	108 (36.0)	144 (48.0)	3.61	0.95
पंचायत की विकास योजनाएँ	60 (20.0)	126 (42.0)	114 (38.0)	3.35	0.98
सरकारी योजनाओं की जानकारी	66 (22.0)	114 (38.0)	120 (40.0)	3.39	1.00
पंचायत बजट की जानकारी	102 (34.0)	132 (44.0)	66 (22.0)	2.91	0.96
पंचायत के वित्तीय स्रोत	114 (38.0)	126 (42.0)	60 (20.0)	2.78	0.94
सामाजिक लेखा-परीक्षण	126 (42.0)	120 (40.0)	54 (18.0)	2.66	0.91
पंचायत चुनाव प्रक्रिया	42 (14.0)	108 (36.0)	150 (50.0)	3.69	0.92
पंचायत में आरक्षण व्यवस्था	60 (20.0)	114 (38.0)	126 (42.0)	3.41	0.99
डिजिटल पंचायत सूचना	108 (36.0)	120 (40.0)	72 (24.0)	2.88	0.98
शिकायत एवं सुझाव प्रक्रिया	96 (32.0)	132 (44.0)	72 (24.0)	2.94	0.97
समग्र जागरूकता	63 (21.0)	129 (43.0)	108 (36.0)	3.24	0.73

तालिका 2 ग्रामीण नागरिकों की पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जागरूकता के विभिन्न आयामों को दर्शाती है। समग्र जागरूकता का औसत 3.24 और मानक विचलन 0.73 पाया गया। 21 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जागरूकता स्तर निम्न, 43 प्रतिशत का मध्यम तथा 36 प्रतिशत का उच्च पाया गया। इससे संकेत मिलता है कि अधिकांश उत्तरदाता पंचायत व्यवस्था से पूर्णतः अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन उच्च स्तर की व्यापक एवं प्रक्रियात्मक जानकारी अभी भी सीमित है। पंचायत चुनाव प्रक्रिया का औसत 3.69 रहा, जो सभी आयामों में अपेक्षाकृत अधिक है। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारियों का औसत 3.61 तथा पंचायत के कार्यों का औसत 3.57 रहा। इससे स्पष्ट होता है कि नागरिक पंचायत के प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाले कार्यों तथा चुनाव संबंधी जानकारी से अपेक्षाकृत अधिक परिचित हैं। इसके विपरीत सामाजिक लेखा-परीक्षण का औसत केवल 2.66 और पंचायत के वित्तीय स्रोतों का 2.78 रहा। पंचायत बजट की जानकारी भी 2.91 के औसत पर सीमित रही। इससे पता चलता है कि नागरिकों को पंचायत के प्रशासनिक और वित्तीय पक्षों की तुलना में उसके सामान्य कार्यों एवं चुनावी प्रक्रिया की अधिक जानकारी है। ग्राम सभा की भूमिका का औसत 3.28 रहा, जबकि शिकायत एवं सुझाव प्रक्रिया का औसत 2.94 पाया गया। डिजिटल पंचायत सूचना का औसत 2.88 है। इसका अर्थ यह नहीं है कि डिजिटल माध्यम अप्रासंगिक हैं, बल्कि यह संकेत देता है कि डिजिटल पंचायत-संबंधी सूचनाओं तक पहुँच और उनके उपयोग में अभी अंतर हो सकता है। मंत्रालय

भी नागरिकों को पंचायत की प्रगति एवं विकास संबंधी जानकारी के प्रति जागरूक रहने और उपलब्ध डेटा के आधार पर समावेशी निर्णय-प्रक्रिया में भूमिका निभाने पर बल देता है।

तालिका 3-ग्राम सभा एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नागरिक सहभागिता के विभिन्न आयामों का वितरण

सहभागिता का आयाम	कभी नहीं f (%)	कभी-कभी f (%)	नियमित f (%)	औसत	मानक विचलन
पंचायत चुनाव में मतदान	30 (10.0)	72 (24.0)	198 (66.0)	3.91	1.03
ग्राम सभा में उपस्थिति	78 (26.0)	132 (44.0)	90 (30.0)	3.04	1.01
ग्राम सभा में बोलना	126 (42.0)	120 (40.0)	54 (18.0)	2.67	0.95
स्थानीय समस्या पंचायत में रखना	84 (28.0)	126 (42.0)	90 (30.0)	2.96	0.98
पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क	66 (22.0)	138 (46.0)	96 (32.0)	3.12	0.96
विकास योजनाओं पर चर्चा	96 (32.0)	126 (42.0)	78 (26.0)	2.88	0.94
पंचायत विकास कार्यों की निगरानी	114 (38.0)	126 (42.0)	60 (20.0)	2.72	0.92
सरकारी योजनाओं के लिए पंचायत से संपर्क	72 (24.0)	132 (44.0)	96 (32.0)	3.09	0.98
पंचायत की बैठकों की जानकारी लेना	96 (32.0)	126 (42.0)	78 (26.0)	2.89	0.96
पंचायत के निर्णयों पर चर्चा	102 (34.0)	132 (44.0)	66 (22.0)	2.78	0.93
सामाजिक विकास गतिविधियों में भागीदारी	72 (24.0)	138 (46.0)	90 (30.0)	3.01	0.97
शिकायत/सुझाव देना	132 (44.0)	108 (36.0)	60 (20.0)	2.61	0.91
समग्र सहभागिता	83 (27.7)	127 (42.3)	90 (30.0)	2.97	0.69

तालिका 3 में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित ग्रामीण नागरिकों की वास्तविक सहभागिता के विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया गया है। समग्र सहभागिता का औसत 2.97 और मानक विचलन 0.69 है। 27.7 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी प्रमुख गतिविधि में नियमित रूप से भाग नहीं लेते, 42.3 प्रतिशत कभी-कभी भाग लेते हैं और केवल 30 प्रतिशत नियमित सहभागिता प्रदर्शित करते हैं। यह वितरण दर्शाता है कि पंचायत व्यवस्था के प्रति नागरिकों की सामान्य जानकारी और उनकी सक्रिय सहभागिता समान स्तर की नहीं है। पंचायत चुनाव में मतदान का औसत 3.91 है और 66 प्रतिशत उत्तरदाता नियमित रूप से मतदान करने की बात कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि औपचारिक चुनावी सहभागिता अन्य गतिविधियों की तुलना में अधिक है। इसके विपरीत ग्राम सभा में नियमित उपस्थिति केवल 30 प्रतिशत है। ग्राम सभा में बोलने का औसत 2.67 है और 42 प्रतिशत उत्तरदाता कभी ग्राम सभा में अपनी बात नहीं रखते। पंचायत विकास कार्यों की निगरानी का औसत 2.72 तथा शिकायत या सुझाव देने का औसत 2.61 है। ये परिणाम संकेत देते हैं कि नागरिकों की सहभागिता अक्सर मतदान अथवा सूचना प्राप्त करने तक सीमित रह सकती है, जबकि निगरानी, उत्तरदायित्व और प्रत्यक्ष निर्णय-प्रक्रिया में सहभागिता अपेक्षाकृत कम है। पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क का औसत 3.12 और सरकारी योजनाओं के लिए पंचायत से संपर्क का औसत 3.09 रहा। इसका अर्थ है कि जब नागरिकों की प्रत्यक्ष आवश्यकता होती है, तब वे पंचायत संस्थाओं से संपर्क करने की अपेक्षाकृत अधिक संभावना रखते हैं। इस तालिका का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि **मतदान आधारित सहभागिता अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि ग्राम सभा, निगरानी, सुझाव और निर्णय-निर्माण आधारित सहभागिता अपेक्षाकृत कम है।** 2026 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम सभा में कम भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन प्रकाशित किया जाना इसी व्यापक सहभागिता आयाम की समकालीन प्रासंगिकता को दर्शाता है।

तालिका 4-पंचायती राज संस्थाओं संबंधी सूचना के स्रोत, सूचना-प्राप्ति की नियमितता एवं सूचना की विश्वसनीयता का तुलनात्मक विश्लेषण

सूचना स्रोत/आयाम	कम f (%)	मध्यम f (%)	अधिक f (%)	औसत	मानक विचलन
परिवार के सदस्यों से जानकारी	54 (18.0)	126 (42.0)	120 (40.0)	3.32	0.94
पड़ोसी/समुदाय	66 (22.0)	132 (44.0)	102 (34.0)	3.18	0.96

ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्य	60 (20.0)	120 (40.0)	120 (40.0)	3.28	0.98
ग्राम सभा	90 (30.0)	126 (42.0)	84 (28.0)	2.96	0.97
स्थानीय समाचार पत्र	102 (34.0)	120 (40.0)	78 (26.0)	2.89	0.95
दूरदर्शन/रेडियो	84 (28.0)	132 (44.0)	84 (28.0)	3.01	0.98
मोबाइल/इंटरनेट	60 (20.0)	114 (38.0)	126 (42.0)	3.37	1.01
सामाजिक माध्यम	72 (24.0)	120 (40.0)	108 (36.0)	3.24	1.02
सरकारी वेबसाइट/पोर्टल	138 (46.0)	108 (36.0)	54 (18.0)	2.59	0.93
पंचायत सूचना-पट्ट	102 (34.0)	132 (44.0)	66 (22.0)	2.84	0.91
सूचना की सत्यता जाँचना	114 (38.0)	126 (42.0)	60 (20.0)	2.76	0.92
एक से अधिक स्रोतों से जानकारी लेना	96 (32.0)	132 (44.0)	72 (24.0)	2.87	0.94
समग्र सूचना-संपर्क	83 (27.7)	130 (43.3)	87 (29.0)	3.02	0.68

तालिका 4 में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया गया है। समग्र सूचना-संपर्क का औसत 3.02 और मानक विचलन 0.68 है। 29 प्रतिशत नागरिकों का पंचायत संबंधी सूचना-संपर्क उच्च, 43.3 प्रतिशत का मध्यम तथा 27.7 प्रतिशत का निम्न स्तर का है। मोबाइल/इंटरनेट का औसत 3.37 है, जो सभी सूचना स्रोतों में सर्वाधिक है। इसके बाद परिवार के सदस्यों का औसत 3.32 और पंचायत प्रतिनिधियों का 3.28 है। इससे यह संकेत मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक सामाजिक नेटवर्क के साथ-साथ डिजिटल माध्यम भी पंचायत संबंधी सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत बन रहे हैं। सामाजिक माध्यम का औसत 3.24 है, जबकि ग्राम सभा का औसत 2.96 है। सरकारी वेबसाइट या पोर्टल से जानकारी प्राप्त करने का औसत मात्र 2.59 रहा। इसका संभावित अर्थ यह है कि डिजिटल उपकरणों का सामान्य उपयोग बढ़ने के बावजूद आधिकारिक डिजिटल पंचायत स्रोतों का उपयोग उसी अनुपात में नहीं हो रहा है। सूचना की सत्यता जाँचने का औसत 2.76 तथा एक से अधिक स्रोतों से जानकारी लेने का औसत 2.87 है। यह परिणाम महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल सूचना तक पहुँच होना पर्याप्त नहीं है; नागरिकों को सूचना की विश्वसनीयता और आधिकारिक स्रोत की पहचान करने की क्षमता भी आवश्यक है।

पंचायती राज मंत्रालय eGramSwaraj को पंचायतों से संबंधित योजना, प्रगति और विकास संबंधी सूचनाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रस्तुत करता है तथा नागरिकों की जागरूक भागीदारी को महत्व देता है। अतः तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि **ग्रामीण नागरिकों में सूचना-संपर्क का स्तर मध्यम है, लेकिन आधिकारिक डिजिटल स्रोतों और सूचना-सत्यापन के उपयोग को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता दिखाई देती है।**

तालिका 5-सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर पंचायती राज जागरूकता में अंतर का विश्लेषण

स्वतंत्र चर	श्रेणी	N	औसत जागरूकता	मानक विचलन	परीक्षण मान	p-मूल्य
लिंग	पुरुष	162	3.20	0.71	1.84	.161
	महिला	132	3.29	0.74		
	अन्य	6	3.11	0.68		
शिक्षा	अशिक्षित	42	2.71	0.62	9.64	<.001**
	प्राथमिक	54	2.94	0.65		
	माध्यमिक	72	3.18	0.67		
	उच्च माध्यमिक	60	3.32	0.70		
	स्नातक	48	3.56	0.66		
	स्नातकोत्तर+	24	3.71	0.61		
आयु	18-30	54	3.08	0.70	3.21	.013*
	31-40	72	3.18	0.72		

	41-50	78	3.31	0.69		
	51-60	60	3.29	0.71		
	61+	36	3.37	0.68		
आय वर्ग	₹10,000 से कम	72	3.02	0.68	4.27	.006**
	₹10,001-20,000	96	3.14	0.69		
	₹20,001-30,000	72	3.29	0.70		
	₹30,001-50,000	42	3.42	0.67		
	₹50,000+	18	3.51	0.63		
डिजिटल सूचना उपयोग	निम्न	84	2.86	0.65	15.18	<.001**
	मध्यम	126	3.22	0.67		
	उच्च	90	3.61	0.62		

टिप्पणी: *p < .05, **p < .01

तालिका 5 में विभिन्न सामाजिक-जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच पंचायत जागरूकता के अंतर का परीक्षण किया गया है। लिंग के आधार पर जागरूकता में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। पुरुषों का औसत 3.20, महिलाओं का 3.29 और अन्य श्रेणी का 3.11 रहा तथा परीक्षण का p-मूल्य .161 है। अतः उदाहरणात्मक आँकड़ों के आधार पर लिंग और जागरूकता के बीच महत्वपूर्ण अंतर नहीं माना जाएगा। इसके विपरीत शिक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। अशिक्षित नागरिकों का औसत 2.71 था, जबकि स्नातकोत्तर एवं उससे अधिक शिक्षित नागरिकों का औसत 3.71 रहा। एक-मार्गीय प्रसरण विश्लेषण का F-मूल्य 9.64 तथा p < .001 है। यह दर्शाता है कि शैक्षिक स्तर और पंचायत संबंधी जागरूकता के बीच महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। आयु के आधार पर भी अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। सबसे कम औसत 18-30 वर्ष समूह में 3.08 तथा अधिकतम औसत 61 वर्ष से अधिक समूह में 3.37 है। आय के स्तर में भी महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। ₹10,000 से कम आय वाले समूह का औसत 3.02, जबकि ₹50,000 से अधिक आय वाले समूह का औसत 3.51 है। सबसे स्पष्ट अंतर डिजिटल सूचना उपयोग में दिखाई देता है। निम्न डिजिटल सूचना उपयोग वाले नागरिकों का औसत 2.86, मध्यम उपयोग वालों का 3.22 और उच्च उपयोग वालों का 3.61 है। F = 15.18 तथा p < .001 इस अंतर की सांख्यिकीय महत्ता दर्शाता है।

इस प्रकार उदाहरणात्मक परिणाम संकेत करते हैं कि शिक्षा, आय, आयु और डिजिटल सूचना-संपर्क पंचायत जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक कारक हो सकते हैं, जबकि लिंग के आधार पर स्पष्ट अंतर नहीं दिखाई देता।

तालिका 6-पंचायती राज जागरूकता, सूचना-संपर्क, ग्राम सभा सहभागिता तथा नागरिक सहभागिता के बीच सहसंबंध

चर	1	2	3	4	5	6
1. पंचायत जागरूकता	1.00					
2. पंचायत सूचना-संपर्क	.52**	1.00				
3. ग्राम सभा सहभागिता	.48**	.56**	1.00			
4. पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क	.44**	.51**	.49**	1.00		
5. विकास कार्यों में सहभागिता	.50**	.47**	.53**	.55**	1.00	
6. समग्र नागरिक सहभागिता	.61**	.58**	.72**	.64**	.69**	1.00

टिप्पणी: ** $p < .01$

तालिका 6 में पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जागरूकता और नागरिक सहभागिता के विभिन्न आयामों के बीच पियर्सन सहसंबंध गुणांक प्रस्तुत किया गया है। परिणामों में सभी प्रमुख संबंध सकारात्मक पाए गए हैं और उदाहरणात्मक आँकड़ों में सभी सहसंबंध $p < .01$ स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। पंचायत जागरूकता और समग्र नागरिक सहभागिता के बीच $r = .61$ का सकारात्मक सहसंबंध पाया गया। यह अपेक्षाकृत मजबूत सकारात्मक संबंध है और संकेत करता है कि जिन नागरिकों में पंचायत व्यवस्था के प्रति जागरूकता अधिक है, उनमें पंचायत संबंधी सहभागिता का स्तर भी अधिक पाया जा सकता है। पंचायत सूचना-संपर्क और समग्र सहभागिता के बीच $r = .58$ तथा ग्राम सभा सहभागिता और समग्र सहभागिता के बीच $r = .72$ का संबंध है। ग्राम सभा सहभागिता का समग्र सहभागिता के साथ संबंध सबसे अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि ग्राम सभा स्थानीय लोकतांत्रिक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक आयाम हो सकती है। पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क और समग्र सहभागिता के बीच $r = .64$ तथा विकास कार्यों में सहभागिता और समग्र सहभागिता के बीच $r = .69$ पाया गया। इसका अर्थ यह है कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद और स्थानीय विकास गतिविधियों में नागरिकों की भागीदारी व्यापक सहभागिता से सकारात्मक रूप से जुड़ी है। जागरूकता और ग्राम सभा सहभागिता के बीच $r = .48$ तथा जागरूकता और विकास कार्यों में सहभागिता के बीच $r = .50$ है। दोनों संबंध मध्यम से अपेक्षाकृत मजबूत सकारात्मक संबंध प्रदर्शित करते हैं। इन परिणामों से **जागरूकता और सहभागिता के बीच सकारात्मक संबंध की परिकल्पना को उदाहरणात्मक आँकड़ों से समर्थन** मिलता है। हालांकि, सहसंबंध कारण-कार्य संबंध सिद्ध नहीं करता। इसलिए यदि वास्तविक शोध में यह संबंध पाया जाए तो आगे प्रतिगमन या अन्य उपयुक्त विश्लेषण से यह जाँचना आवश्यक होगा कि जागरूकता सहभागिता का महत्वपूर्ण पूर्वानुमानक है या नहीं।

तालिका 7-ग्रामीण नागरिकों की पंचायती राज संबंधी समग्र सहभागिता के पूर्वानुमान हेतु बहु-प्रतिगमन विश्लेषण

स्वतंत्र चर	B	मानक त्रुटि	मानकीकृत β	t	p-मूल्य
स्थिरांक	0.684	0.214	—	3.196	.002
पंचायत जागरूकता	0.382	0.061	.341	6.262	<.001**
पंचायत सूचना-संपर्क	0.214	0.067	.176	3.194	.002**
ग्राम सभा सहभागिता	0.318	0.058	.286	5.483	<.001**
पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क	0.187	0.064	.159	2.922	.004**
डिजिटल पंचायत सूचना उपयोग	0.126	0.052	.119	2.423	.016*
शिक्षा स्तर	0.143	0.056	.128	2.554	.011*
पंचायत पर विश्वास	0.205	0.062	.171	3.306	.001**

मॉडल सारांश: $R = .792$; $R^2 = .627$; समायोजित $R^2 = .618$; $F = 69.14$; $df = 7, 292$; $p < .001$

तालिका 7 में ग्रामीण नागरिकों की समग्र पंचायती राज सहभागिता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का बहु-प्रतिगमन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। मॉडल में पंचायत जागरूकता, सूचना-संपर्क, ग्राम सभा सहभागिता, पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क, डिजिटल पंचायत सूचना उपयोग, शिक्षा स्तर तथा पंचायत पर विश्वास को स्वतंत्र चर के रूप में शामिल किया गया है। प्रतिगमन मॉडल का $R = .792$ है, जो आश्रित और स्वतंत्र चरों के बीच मजबूत समग्र संबंध का संकेत देता है। $R^2 = .627$ से पता चलता है कि उदाहरणात्मक रूप से समग्र नागरिक सहभागिता में लगभग 62.7 प्रतिशत भिन्नता को मॉडल में शामिल सात स्वतंत्र चर संयुक्त रूप से स्पष्ट करते हैं। समायोजित $R^2 .618$ है। मॉडल का F-मूल्य 69.14 तथा $p < .001$ है, जिससे पूरा प्रतिगमन मॉडल सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण दिखाई देता है। पंचायत जागरूकता का मानकीकृत $\beta = .341$ है और $p < .001$ है। यह मॉडल में सबसे बड़ा मानकीकृत गुणांक है। इसका अर्थ है कि अन्य चरों को नियंत्रित करने पर पंचायत जागरूकता का समग्र सहभागिता से महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध है। ग्राम सभा सहभागिता का $\beta = .286$ तथा $p < .001$ है। पंचायत सूचना-संपर्क का $\beta = .176$ और पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क का $\beta = .159$ है। डिजिटल पंचायत सूचना उपयोग का $\beta = .119$ तथा शिक्षा स्तर का $\beta = .128$ है। पंचायत पर विश्वास का $\beta = .171$ और $p = .001$ है। इन उदाहरणात्मक परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि **पंचायत संबंधी जागरूकता, ग्राम सभा सहभागिता, सूचना-संपर्क,**

प्रतिनिधियों से संपर्क, डिजिटल सूचना उपयोग, शिक्षा तथा पंचायत पर विश्वास नागरिक सहभागिता से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े पूर्वानुमानक हैं। विशेष रूप से जागरूकता का अपेक्षाकृत अधिक β यह संकेत देता है कि नागरिकों को पंचायत की संरचना, कार्य, अधिकार, ग्राम सभा और स्थानीय योजनाओं की जानकारी देना सहभागिता को समझने के लिए महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है। फिर भी वास्तविक अध्ययन में कारणात्मक निष्कर्ष निकालने से पहले शोध-डिजाइन और अन्य संभावित प्रभावकारी चरों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा।

चर्चा

अध्ययन के उदाहरणात्मक परिणाम ग्रामीण नागरिकों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जागरूकता और सहभागिता के बीच महत्वपूर्ण संबंध की ओर संकेत करते हैं। समग्र जागरूकता का औसत 3.24 रहा, जबकि समग्र सहभागिता का औसत 2.97 पाया गया। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि पंचायत के बारे में जानकारी होना और पंचायत की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना समान व्यवहार नहीं है। पंचायत चुनाव प्रक्रिया, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारियों और पंचायत के सामान्य कार्यों के संबंध में जागरूकता अपेक्षाकृत अधिक थी। इसके विपरीत पंचायत बजट, वित्तीय स्रोत, सामाजिक लेखा-परीक्षण और शिकायत प्रक्रिया जैसे प्रशासनिक एवं उत्तरदायित्व संबंधी विषयों में जागरूकता कम रही। इससे यह संभावना सामने आती है कि नागरिक पंचायत के प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले कार्यों को अपेक्षाकृत अधिक जानते हैं, जबकि वित्तीय एवं संस्थागत प्रक्रियाओं की जानकारी कम हो सकती है। सहभागिता के संदर्भ में मतदान का औसत 3.91 रहा, जबकि ग्राम सभा में बोलने का औसत 2.67 और शिकायत-सुझाव देने का औसत 2.61 रहा। इसका अर्थ यह है कि नागरिकों की भागीदारी का एक बड़ा भाग चुनावी गतिविधि तक सीमित हो सकता है। चंद्र और अन्नामलाई ने भी ग्राम सभा को ग्रामीण नागरिकों की प्रत्यक्ष सहभागिता और स्थानीय निर्णय-निर्माण के महत्वपूर्ण मंच के रूप में रेखांकित किया था। शिक्षा के आधार पर जागरूकता में पाया गया महत्वपूर्ण अंतर भी उल्लेखनीय है। उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं का औसत जागरूकता स्तर अपेक्षाकृत अधिक रहा। इसी प्रकार डिजिटल सूचना उपयोग और पंचायत जागरूकता के बीच भी स्पष्ट अंतर दिखाई दिया। वर्तमान समय में पंचायत संबंधी सूचनाओं के डिजिटल माध्यमों का महत्व बढ़ रहा है और eGramSwaraj जैसे प्लेटफॉर्म पंचायत योजना तथा प्रगति से संबंधित सूचना को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। सहसंबंध विश्लेषण में पंचायत जागरूकता और समग्र नागरिक सहभागिता के बीच $r = .61$ का सकारात्मक संबंध पाया गया। ग्राम सभा सहभागिता और समग्र सहभागिता के बीच $r = .72$ रहा। इससे यह संकेत मिलता है कि पंचायत संबंधी जानकारी और प्रत्यक्ष सहभागिता एक-दूसरे से जुड़े आयाम हैं। हालांकि सहसंबंध को कारणात्मक संबंध के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। प्रतिगमन विश्लेषण में पंचायत जागरूकता का $\beta = .341$ रहा, जो मॉडल में अपेक्षाकृत बड़ा मानकीकृत गुणांक है। इससे यह संकेत मिलता है कि अन्य शामिल चरों को नियंत्रित करने पर पंचायत जागरूकता का सहभागिता से सकारात्मक सांख्यिकीय संबंध बना रहा। 2026 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम सभा में कम भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन प्रकाशित किया जाना भी इस अध्ययन के सहभागिता-केंद्रित निष्कर्षों को समकालीन संदर्भ प्रदान करता है।

परिकल्पनाओं का औचित्य

परिकल्पना 1-“ग्रामीण नागरिकों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जागरूकता और उनकी सहभागिता के बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।” सहसंबंध विश्लेषण में पंचायत जागरूकता और समग्र नागरिक सहभागिता के बीच $r = .61$, $p < .01$ पाया गया। इसलिए उदाहरणात्मक आँकड़ों के आधार पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है। इसके स्थान पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि पंचायत जागरूकता और नागरिक सहभागिता के बीच सकारात्मक एवं सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध है।

परिकल्पना 2-“विभिन्न शैक्षिक स्तरों वाले ग्रामीण नागरिकों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जागरूकता के औसत स्तर में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।” एक-मार्गीय प्रसरण विश्लेषण में शिक्षा के आधार पर $F = 9.64$, $p < .001$ प्राप्त हुआ। अशिक्षित उत्तरदाताओं का औसत 2.71 तथा स्नातकोत्तर एवं अधिक शिक्षित उत्तरदाताओं का औसत 3.71 रहा। अतः उदाहरणात्मक परिणामों के आधार पर शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है और शिक्षा के विभिन्न स्तरों में पंचायत जागरूकता का महत्वपूर्ण अंतर स्वीकार किया जाता है।

परिकल्पना 3 - "ग्राम सभा में भागीदारी, पंचायत संबंधी सूचना के स्रोतों तथा पंचायत के कार्यों की जानकारी ग्रामीण नागरिकों की पंचायत संबंधी सहभागिता को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।" **बहु-प्रतिगमन विश्लेषण में पंचायत जागरूकता, सूचना-संपर्क, ग्राम सभा सहभागिता और पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क के गुणांक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण रहे। मॉडल का $R^2 = .627$ तथा $F = 69.14$, $p < .001$ रहा। अतः उदाहरणात्मक परिणामों के आधार पर शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है। परिणाम संकेत करते हैं कि इन कारकों का समग्र नागरिक सहभागिता के साथ महत्वपूर्ण सांख्यिकीय संबंध है।**

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावशीलता केवल संस्थागत संरचना और चुनाव कराने तक सीमित नहीं है। ग्रामीण लोकतंत्र की वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि ग्रामीण नागरिक पंचायत की संरचना, कार्य, ग्राम सभा, योजनाओं, वित्तीय प्रक्रियाओं और प्रतिनिधियों की भूमिकाओं को किस सीमा तक समझते हैं तथा उपलब्ध लोकतांत्रिक मंचों में कितनी सक्रियता से भाग लेते हैं। उदाहरणात्मक परिणामों में ग्रामीण नागरिकों की पंचायत संबंधी जागरूकता मध्यम से उच्च स्तर के बीच दिखाई दी, जबकि उनकी व्यापक नागरिक सहभागिता अपेक्षाकृत मध्यम रही। मतदान में सहभागिता अधिक थी, लेकिन ग्राम सभा में बोलना, विकास कार्यों की निगरानी, शिकायत एवं सुझाव देना तथा पंचायत के निर्णयों में सक्रिय भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। इससे यह संकेत मिलता है कि **निर्वाचनात्मक सहभागिता और निरंतर लोकतांत्रिक सहभागिता के बीच अंतर मौजूद हो सकता है।** शिक्षा, आय, आयु और डिजिटल सूचना-संपर्क पंचायत जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण कारकों के रूप में सामने आए। विशेष रूप से उच्च शिक्षा और अधिक डिजिटल सूचना-संपर्क वाले समूहों में जागरूकता अपेक्षाकृत अधिक रही। पंचायत जागरूकता और नागरिक सहभागिता के बीच सकारात्मक सहसंबंध तथा प्रतिगमन मॉडल में जागरूकता का महत्वपूर्ण योगदान अध्ययन की केंद्रीय अवधारणा को समर्थन देता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों को केवल चुनावी सूचना तक सीमित रखने के बजाय **ग्राम सभा, पंचायत बजट, सामाजिक लेखा-परीक्षण, विकास योजनाओं, शिकायत-निवारण, डिजिटल पंचायत सूचना और नागरिक अधिकारों** से जोड़ना उपयोगी हो सकता है। साथ ही महिलाओं, कम शिक्षित नागरिकों और डिजिटल सूचना से कम जुड़े समूहों के लिए स्थानीय स्तर पर सरल एवं सुलभ नागरिक शिक्षा की व्यवस्था सहभागिता को व्यापक बनाने में सहायक हो सकती है। पंचायती राज मंत्रालय का वर्तमान दृष्टिकोण भी विकेंद्रीकृत एवं सहभागी स्थानीय स्वशासन तथा समावेशी विकास पर केंद्रित है। अंततः, एक मजबूत पंचायती राज व्यवस्था केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रियता से नहीं, बल्कि **जागरूक नागरिकों, प्रभावी ग्राम सभा और निरंतर जनसहभागिता** के संयुक्त प्रयास से सुदृढ़ होती है।

संदर्भ सूची

- [1]. Chandra, K. S., & Annamalai, V. (2002). Participation of marginalised sections in Gram Sabha: Rhetoric and reality. *Social Change*, 32(1-2). <https://doi.org/10.1177/004908570203200214>
- [2]. Choubey, K. N. (2015). The public life of a 'progressive' law: PESA and Gaon Ganarajya (Village Republic). *Studies in Indian Politics*, 3(2). <https://doi.org/10.1177/2321023015601745>
- [3]. Election Commission of India. (2024). *Handbook for electoral registration officers*. Election Commission of India.
- [4]. Jayal, N. G. (2006). Engendering local democracy: The impact of quotas for women in India's panchayats. *Democratization*, 13(1), 15-35. <https://doi.org/10.1080/13510340500378225>
- [5]. Kakati, B. K. (2022). Gaon Panchayat, tribal women and their participation: A case of Tiwas of Assam. *Indian Journal of Gender Studies*, 68(2). <https://doi.org/10.1177/00195561221090768>
- [6]. Kaur, J., & Sharma, B. (2017). A study on participation and empowerment of women in Panchayati Raj: Examining the role of women in Panchayati Raj for empowerment and development. *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, 13(2), 338-344.
- [7]. Kumari, A. R., Dubey, S. K., & Gautam, U. S. (2016). Elected women Panchayat Samiti: An structural arrangement for farm women empowerment in India. *Indian Journal of Extension Education*, 52(1-2), 45-51.
- [8]. Ministry of Panchayati Raj. (1992). *The Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992*. Government of India.
- [9]. Ministry of Panchayati Raj. (2022). *National capability building framework for Panchayati Raj Institutions*. Government of India.
- [10]. Ministry of Panchayati Raj. (2024). *National Panchayat profile e-book*. Government of India.
- [11]. Ministry of Panchayati Raj. (2026). *National study report: Low participation in Gram Sabha across the States and Union Territories* (Vols. I-II). Government of India.

- [12]. Nandal, V. (2013). Participation of women in Panchayati Raj Institutions: A sociological study of Haryana, India. *International Research Journal of Social Sciences*, 2(12), 47–50.
- [13]. Patnaik, P. (2013). Does political representation ensure empowerment? Scheduled Tribes in decentralised local governments of India. *Journal of Social Inclusion Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.1177/0973174113476998>
- [14]. Tigga, A. S. (2021). Local self-governance a right platform for empowering rural women. *Indian Journal of Extension Education*, 55(2), 57–60.
- [15]. Ministry of Panchayati Raj. (2025). *Basic statistics of Panchayati Raj Institutions 2025*. Government of India.